कार्यालय अपर पुलिस महानिदेशक, लॉजिस्टिक्स

(परिवहन एवं आयुध)

चतुर्थ तल, जवाहर भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

संख्याः लॉजि0-आरमोरर-03/2018 दिनांक : नवम्बर 29 , 2018.

आदेश

उत्तर प्रदेश पुलिस आरमोरर शाखा अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली, 2016 में निहित निर्देशों के अन्तर्गत अर्द्धसैनिक बल का आरमोरर ग्रेड-3 कोर्स उत्तीर्ण आरक्षी आरमोररों को अनुपयुक्तों को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर प्राधिकृत बोर्ड व्दारा निम्नलिखित आरक्षी आरमोरर को मुख्य आरक्षी आरमोरर के पद पर पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाये जाने एवं पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश व्दारा दिनांक 27.11.2018 को अनुमोदित किये जाने की तिथि से उनके वर्तमान नियुक्ति स्थान पर ही मुख्य आरक्षी आरमोरर के पद पर इस शर्त के साथ पदोन्नति प्रदान की जाती है :-

क्र0 सं0	पीएनओ	आरक्षी आरमोरर का नाम	पिता का नाम	वर्तमान नियुक्ति स्थान	चयन का वर्ष
1	822250094	राधेराम	श्री सरू	37 पीएसी कानपुर	2015
2	862540313	नानक चन्द	श्री हरी सिंह	गौतमबुद्धनगर	2017
3	940510137	देवानन्द विश्वकर्मा	श्री दीपचन्द्र विश्वकर्मा	बस्ती	2017
4	782121476	तेजपाल सिंह	श्री किशनलाल	पीटीसी सीतापुर	2018
5	882420343	लालता प्रसाद पाण्डेय	श्री रामलखन पाण्डेय	फतेहपुर	2018
6	900620054	संतोष कुमार	श्री राम अभिलाष	सीतापुर	2018
7	920550672	संजीव कुमार-।	श्री विरेन्द्र सिंह	पुलिस अकादमी मुरादाबाद	2018

2. पदोन्नति पाये समस्त मुख्य आरक्षी आरमोरर अपने नियुक्ति स्थान जनपद/इकाई/शाखा के मुख्यालय पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। मुख्य आरक्षी आरमोरर के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे, जिसे सेवा नियमावली के प्रावधानों के अनुसार आगे बढ़ाया जा सकता है। पदोन्नति पाये वर्तमान नियुक्ति का स्थान यदि स्थानान्तरण के कारण परिवर्तित हो गया हो तो ऐसे कर्मी नये नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेंगे।

3. पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित आरक्षी आरमोरर से संलग्न प्रारूप (क) में स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र लेकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शासनादेश दिनांक 28.05.1997 के खण्ड-2 में दी गयी निम्नलिखित 03 परिस्थितियाँ सम्बन्धित आरक्षी आरमोरर के विरूद्ध विद्यमान न हों :-

(क) यदि कार्मिक निलम्बित चल रहा है,

(ख) यदि कार्मिक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही या प्रशासनाधिकरण की कार्यवाही लम्बित है, जिसके लिए आरोप-पत्र जारी किया जा चुका है।

(ग) यदि आपराधिक आरोप-पत्र के आधार पर कार्मिक के विरूद्ध अभियोजन की कार्यवाही लम्बित है, अर्थात न्यायालय में अभियोजन हेतु आरोप-पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है।

4. यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र के प्रस्तर-3 में अंकित परिस्थितियॉ विद्यमान नहीं हैं, तो सम्बन्धित मुख्य आरक्षी आरमोरर के पद पर कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र में प्रस्तर-3 में अंकित परिस्थितियॉ विद्यमान पायी जाती हैं, तो सम्बन्धित आरक्षी आरमोरर के पदोन्नति आदेश का क्रियान्वयन न कराया जाय, तथा सम्पूर्ण तथ्यों सहित आख्या लॉजिस्टिक्स कार्यालय, लखनऊ को उपलब्ध कराते हुए दिशा-निर्देश प्राप्त किया जायेगा।

5. यदि सम्बन्धित आरक्षी आरमोरर व्दारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र में अंकित कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया जाता है तो उसकी पदोन्नति निरस्त कर उसे मूल पद पर पदावनत करते हुये उसके विरूद्ध स्थापित विधि व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी।

6. उक्त आदेश की प्रति एवं घोषणा-पत्र की प्रति प्रारूप ''क'' उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट uppolice-police units-Logistics पर प्रदर्शित की जा रही है।

संलग्नक : प्रारूप ''क''

29/11/18

(विजय कुमार मौर्य)
अपर पुलिस महानिदेशक, लॉजिस्टिक्स
उ0प्र0 लखनऊ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर पुलिस महानिदेशक, डॉ0भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी, मुरादाबाद।
2. पुलिस उप महानिरीक्षक, पीटीसी, सीतापुर।
3. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गौतमबुद्धनगर।
4. पुलिस अधीक्षक, बस्ती/फतेहपुर/सीतापुर।
5. सेनानायक, 37वीं वाहिनी पीएसी, कानपुर।

संख्या तथा दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को कृपया सादर सूचनार्थ प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक ''स्थापना'' उ0प्र0 लखनऊ।

प्रारूप–"क"

स्वघोषणा–पत्र

मैं,————————————————(नाम/पदनाम व पीएनओ) पुत्र ————————निवासी————————————थाना————————जनपद———————— वर्तमान में (जनपद/इकाई का नाम)———————————— नियुक्त हूँ तथा घोषित करता हूँ कि:–

(क) "मेरे विरूद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों /कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली–1991 के नियम–14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित अथवा प्रचलित नहीं है तथा कोई आपराधिक अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और न ही वर्तमान में निलम्बित हूँ।"

2– उपरोक्त घोषणा में यदि मेरे द्वारा कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया पाया जाता है तो मेरी पदोन्नति निरस्त कर मुझे मूल पद पर पदावनत करते हुये मेरे विरूद्ध स्थापित विधि व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाय, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

3– यह घोषणा–पत्र मेरे द्वारा पूर्ण रूप से होशोहवास में बिना किसी दवाब के दिया जा रहा है, जिसका मेरे द्वारा पूर्ण रूपेण पालन किया जायेगा।

हस्ताक्षर
(नाम/पदनाम/पीएनओ सहित)
नियुक्ति स्थान/दिनॉक

यदि सम्बन्धित उपनिरीक्षक के विरूद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों / कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली–1991 के नियम–14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित अथवा प्रचलित है अथवा कोई आपराधिक अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन है अथवा निलम्बित है तो उसका पूर्ण विवरण उसके द्वारा नीचे अंकित किया जायेगा:–

(1) वर्तमान में निलम्बित है तो उसका निलम्बन आदेश/दिनॉक तथा कारण ———

(2) मेरे विरूद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली–1991 के नियम–14(1) के अन्तर्गत जनपद/इकाई————————में कार्यवाही लम्बित है, जिसमें दिनॉक:———————— को आरोप–पत्र दिया गया है।

(3) मेरे विरूद्ध मु0अ0सं0———————— धारा————————थाना ———————— जनपद————————में लम्बित है, जिसमें दिनॉक:————————को स्थानीय पुलिस अथवा जॉच एजेन्सी————————————द्वारा आरोप–पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया है तथा अभियोग वर्तमान में————————स्तर पर चल रहा है।

हस्ताक्षर
(नाम/पदनाम/पीएनओ सहित)
नियुक्ति स्थान/दिनॉक

प्रमाणित

जनपद/इकाई के प्रभारी
नाम/पदनाम की मुहर

नोट:–स्वघोषणा–पत्र में अंकित जो प्रस्तर अथवा उपप्रस्तर लागू न हो उसे स्पष्ट रूप से काट (X) दिया जाय।